राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.18(122)भनिकम/4644 जयपुर, दिनांक 01/04/2020

परिपत्र

विषय :– निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की समय सीमा 15 मई, 2020 तक बढाये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा दिनांक 05.01.2016 को अधिसूचित "निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना" के बिन्दु संख्या 5.3 में योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि का उल्लेख किया गया है। योजना में 31 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस कारण हिताधिकारियों के बच्चों द्वारा आवेदन दिनांक 31.03.2020 तक समय सीमा का पालन करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए हिताधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2018–19 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि निर्देशानुसार 15 मई, 2020 तक बढ़ायी जाती है।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त
एवं सचिव, मण्डल

क्रमांकः–एफ.18(122)भनिकम/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय मंत्री श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रमुख शासन, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
3. ....सदस्य, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड।
4. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी............................समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

01/4/2020
अति. श्रम आयुक्त
एवं संयुक्त सचिव, मण्डल

Scanned with CamScanner